वित्त वर्ष 2018-2019 (मूल्यांकन वर्ष 2019-2020) के लिए 3 सीएल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जाँच सूची

| क्र.सं. | विवरण | (√) |
|---------|--|-----|
| 1 | अनुलग्नक-। के साथ-साथ परिशिष्ट-। और परिशिष्ट-2, खंड-ग का प्रस्तुतीकरण | |
| | (डीएसआईआर के संशोधित दिशा-निर्देशों की पृष्ठ सं. 26-27 के अनुसार) | |
| 2 | प्रत्येक आर एंड डी केंद्र के लिए अनुलग्नक-॥ प्रस्तुत करना और यदि एक से अधिक | |
| | आर एंड डी केन्द्र हों तो समेकित अनुलग्नक-॥ जिसमें सभी आर एंड डी केंद्रों के | |
| | साथ-साथ परिशिष्ट-। से परिशिष्ट-॥ दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करना | |
| 3 | सभी पृष्ठों पर प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड सदस्य के हस्ताक्षर | |
| 4 | डीएसआईआर द्वारा कंपनी को जारी 3 सीएम फॉर्म की प्रति | |
| 5 | डीएसआईआर के संशोधित फार्मेट के अनुसार व्यय का दावा करने के लिए सनदी | |
| | लेखाकार प्रमाण-पत्र (डीएसआईआर के संशोधित दिशा-निर्देशों की पृष्ठ सं. 30 के | |
| | अनुसार) | |
| 6 | आयकर की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ 3 सीएलए प्रमाण-पत्र और प्राप्ति रसीद | |
| | प्रस्तुत करना | |
| 7 | बिजली/पानी का दावा करने के लिए सीए प्रमाण-पत्र, जो यह दावा करे कि आर एंड | |
| | डी यूनिट में अलग मीटर है तथा विद्युत उपभोग का विधिवत अंकन एवं मापन किया | |
| | जाता है। | |
| 8 | आर एंड डी व्यय (पताका) के वार्षिक रिपोर्ट परिलक्षण | |
| 9 | समाधान विवरण यदि वार्षिक रिपोर्ट एवं अनुलगनक-॥ विवरण में दी गई राशि में | |
| | कोई अंतर हो। | |
| 10 | 50,000 रु. से कम वाले शीर्षों के साथ-साथ सभी शीर्षों का पूर्ण ब्यौरा। | |
| 11 | यदि 3 सीएम विस्तार मान्यता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ बकाया है तो फार्म 3 सीके में | |
| | आवेदन करें। | |
| 12 | यदि कम्पनी के आर एंड डी केंद्र, पंजीयन कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन हो तो | |
| | दर्शाएं। | |
| 13 | मान्यता पत्र की प्रति | |
| 14 | स्थानीय आयकर पता दिया गया है या नहीं। | |
| 15 | विगत तीन वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन के ब्यौरे। | |

नोट: सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए।